उपस्थित। जबाब साक्ष्य पेश किया नकल प्रार्थी को दी गई साक्ष्य प्रार्थीगण में साक्ष्य शपथ अब्दुल्ला का पेश किया साक्ष्य समाप्त की गई वास्ते बहस पत्रावली 10-7-19 को पेश हो। दस्तावेज प्रस्तुत करवाये गये वास्ते बहस पत्रावली 10-7-19 को पेश हो।

10.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.7.19 को पेश हो।
17.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र धारा 136 LRACT स्वीकार किया गया। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर श्रा० फा० किया तथा इसकी बाबत TDR संशोधन को लिखा जावे (तहसीलदार जारी करे)

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मण सिंह कूनी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 6/2019 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 25.02.2019 — गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. किशनगोपाल आत्मज सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. बाबूलाल उर्फ प्रेमशंकर पारीक आत्मज सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी नयागांव हाल निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 17.07.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 217 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा संख्या 218 रकबा 0. 03 हैक्टर, खसरा संख्या 219 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 220 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा संख्या 221 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 222 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 223 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा संख्या 224 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 225 रकबा 00.03 हैक्टर, खसरा संख्या 226 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा संख्या 227 रकबा 0. 15 हैक्टर, खसरा संख्या 463 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा संख्या 464 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 1.99 हैक्टर वाके ग्राम नयागांव पटवार मण्डल दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। जिसका नया खाता संख्या 13 है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी कम 1 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी कम 2 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर में निहित प्रार्थी कम 2 का 2/3 हिस्से मे से प्रार्थी कम 2 ने दिनांक 22.06.2016 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र 105X67 वर्ग फीट भूमि कन्हैयालाल प्रजापत आत्मज ज्वरालाल प्रजापत जाति कुम्हार निवासी ग्रेन गोदाम रोड बजरिया सवाईमाधोपुर हिस्सा 65/300 तथा रामप्रसाद आत्मज भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम नयागांव हाल निवास छत्रपुरा तालाब कोटा, राजाराम आत्मज

उपखण्ड अधिकारी,
लाखेरी जिला बून्दी

भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम नयागांव, रामजीलाल आत्मज भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम खेरदा सवाईमाधोपुर को हिस्सा 65/300 हि.ब. बेचान कर दी गई थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2016 के आधार पर खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर में प्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 2/3 में से उपरोक्त केतागण के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 421 खोलकर दिनांक 01.08.2016 को उक्त नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तकरण संख्या 421 के अनुसार खसरा नम्बर 227 में केता कन्हैयालाल का हिस्सा 65/300 केतागण रामप्रसाद आदि का हिस्सा 65/150 व प्रार्थी कम संख्या 2 बाबूलाल उर्फ प्रेमशंकर हिस्सा 7/30 व प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज किया हैं। खाता संख्या नया 13 के खसर नम्बर 227 की कृषि भूमि उपरोक्त चार केतागण का नाम खोलकर तस्दीक किया गया। शेष कृषि भूमि पर केतागण का कोई अधिकार नही है। नामान्तकरण संख्या 421 दिनांक 01.08.2016 का अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 मे खसरा नम्बर 227 पर अंकित नही करके सम्पूर्ण खाते की कृषि भूमि पर केतागण का नाम अंकित कर दिया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 तक बनाई गई उसमें सम्पूर्ण खाता संख्या 73 नया जिसका पुराना खाता संख्या 13 कायम किया गया है। प्रार्थीगण की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर कुम्हार अंकित कर दी गई। प्रकरण में केवल नामान्तकरण संख्या 421 के अमल किये जाने से त्रुटि हुई है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। और अन्त में प्रार्थना की है कि नामान्तकरण संख्या 421 के अनुसार केवल खसरा नम्बर 227 मे ही केतागणों का नाम मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंकित किया जावें एवं प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर ब्राहम्ण अंकित की जावें। एवं पुरानी जमाबन्दी 2069-2072 जिसका खाता संख्या 13 हैं के अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जाकर दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2016 प्रदर्श 2, नामान्तकरण संख्या 421 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 प्रदर्श 4, पेश किये जाकर प्रदर्श करवाये।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श 2 विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बाबूलाल द्वारा केतागण कन्हैयालाल प्रजापत, रामप्रसाद, राजाराम एवं रामजीलाल को खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर वाके ग्राम नयागांव में से हिस्सा 65/150 विक्रय किये जाने का उल्लेख है। जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 421 दिनांक 01.08.2016 प्रदर्श 3 ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर मे से विक्रय की गई भूमि का नामान्तकरण केतागणों के नाम तस्दीक किया गया। लेकिन इस नामान्तकरण का अमल जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 मे वर्णित सभी खसरा नम्बरान बाबत अमल कर दिया गया। जो

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई अवैधानिक त्रुटि है। तथा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 4 का अवलोकन किये जाने पर यह तथ्य जानकारी में आया कि प्रार्थीगण की जाति ब्राहम्ण की जगह कुम्हार कर दी गई है। जबकि पुराने रिकार्ड प्रदर्श 1 में प्रार्थीगण की जाति ब्राहम्ण दर्ज है। इस कारण पुराने राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 के अनुसार प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर ब्राहम्ण किया जाना एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 प्रदर्श 1 में नामान्तकरण संख्या 421 दिनांक 01.08.2016 से विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर मे केतागणों के नाम मुताबिक हिस्सा विक्रय पत्र इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जाति कुम्हार की जगह ब्राहम्ण तथा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 नया खाता संख्या 73 पुराना 13 में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर को छोडते हुये शेष खसरा किता 12 रकबा 1.84 हैक्टर वाके ग्राम नयागांव में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 का हिस्सा 2/3 दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 हैक्टर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 का हिस्सा 7/30 तथा केतागण कन्हैयालाल आ. श्रवणलाल जाति कुम्हार हिस्सा 13/60 हि.ब. केता राजाराम, रामजीलाल, रामप्रसाद पिता भैरूलाल जाति कुम्हार का हिस्सा 13/60 हि.ब. दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड कोसंशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी